फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर कोटली पी-नयपुर

अजय कुमार बनाम रवि कुमार

मुकदमा संख्या/वर्ष : 81/2022

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13/6/24	पत्रावली पेश हुई। वादी के ओर से वकील श्री कुलदीप शर्मा उप० । प्रतिवादी सं० -13 की ओर से वकील श्री राजेश शर्मा उप०। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं० -13 ने 07 R 11 सपठित धारा 11, 151 CPC प्रा० पत्र पर बहस की, जिसे सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा०पत्र 07 R 11 सपठित धारा 11, 151 CPC दिनांक 18/6/24 को पेश हो। [signature]	
	18/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं प्रतिवादी सं० -13 के वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र एवं प्रा० पत्र 07 R 11 के जवाब	

फर्द अहकाम

न्यायालय: सहायक कलक्टर बस्सी मि. जयपुर

अजय कुमार बनाम रवि कुमार

मुकदमा संख्या/वर्ष : 81/2022

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टि
		से यह तथ्य स्पष्ट है कि पूर्व में उनवान रविकुमार बनाम नारायण बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का इस न्यायालय में विचाराधीन रहा है जिसका निस्तारण दिनांक 13/6/2018 को हो चुका है। जिसकी जानकारी वादी को होने के बावजूद भी उक्त तथ्य को वादी द्वारा छुपाया गया है। अतः वादी का वाद पश्चातवर्ती वाद की परिभाषा में आने से धारा 11 CPC से प्रभावित होने एवं एक ही विषयवस्तु से प्रभावित होने के कारण दुबारा वादकारण उत्पन्न नहीं हो सकता है। अतः वास्तविक वादकारण के अभाव में एवं विधि द्वारा वर्जित होने के कारण प्रार्थी का प्रा०पत्र 07R 11 सपठित धारा	

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जि-जयपुर

अजय कुमार बनाम रवि कुमार

मुकदमा संख्या / वर्ष : 81 /2022

क्र0सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		11, 151 CPC स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पृथक् से विस्तृत निर्णय टंकित हो पेश हो। पत्रावली नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18/6/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारीः— कनक जैन (आर.ए.एस.)

वाद संख्या— 81/2022

1. अजय कुमार पुत्र स्व. नारायण जाति जाट निवासी ग्राम गोठडा तहसील बस्सी जिला जयपुर

— वादी

बनाम

1. रवि कुमार पुत्र स्व. नारायण,
2. सुनीता पुत्री स्व. नारायण
3. मनफूल देवी पत्नी स्व. नारायण,
4. बद्रीनारायण पुत्र स्व. रामचन्द्र,
5. मदन लाल पुत्र स्व. रामचन्द्र,
6. ममता देवी पुत्री स्व. रामचन्द्र,
7. रतन देवी पुत्री स्व. रामचन्द्र,
8. रामअवतार पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र,
9. कृष्ण पुत्र स्व. रामधन,
10. कालूराम पुत्र स्व. रामधन,
11. हनुमान पुत्र स्व. रामधन,
12. रामफूल पुत्र स्व० रामरख,

समस्त जातियान् जाट, निवासीगण ग्राम गोठडा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

13. श्रीमती राजन शर्मा पत्नी श्री दामोदर, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी 20, कैलाशपुरी, दुर्गापुरा, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान ।
14. उप–पंजीयक बस्सी, जिला जयपुर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बस्सी, जिला जयपुर।

— प्रतिवादीगण

दिनांक— 18/06/2024

<u>दावा घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

<u>अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

वादकारण के अभाव में एवं विधि द्वारा वर्जित होने के कारण प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 13 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, धारा 11, 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। ....
....निजी...मुबलिक.............

सहायक कलक्टर
बस्सी जिला जयपुर

................बाबत..खर्चा ....इस मुकददमें का मय सूद वगैरह..............फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.................. को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 18.06.2024 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

दस्तख्त..............................

ओहदा..............................

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलेक्टर
बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण